भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
विकास आयुक्त का कार्यालय /OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096
टेलि/Tele:**28294770**, **फैक्स**/Fax:**28291385**
ई-मेल/E-mail:dcseepz-mah@nic.in, **वेबसाइट**/Website:www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं.सीप्ज़-सेज़/सिक्यूरिटी/2020-21/गेट पास/ दिनांकः 01.6.2020

सूचना

विषयः- सीप्ज़ के प्रवेश के लिए कामगारों/कर्मचारियों तथा वाहनों/संविदा बसों को गेट पास जारी किए जाने के संबंध में ।

सीप्ज़-सेज़ के दिनांक 14.5.2015 के परिपत्र संख्या 4, दिनांक 17.7.2017 के परिपत्र संख्या 12 के अनुसार सीप्ज़ में प्रवेश के लिए सभी आगंतुकों/वाहनों के पास वैध गेट पास होना अनिवार्य है । व्यक्तियों/वाहनों का प्रवेश तथा निकास प्रतिबंधित है तथा यह निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के अधीन होता है ।

यह देखने में आया है कि विभिन्न यूनिटों के काफी बड़ी संख्या में कामगार/कर्मचारी तथा वाहन बिना किसी वैध गेट पास के सीप्ज़ सुरक्षा से संपर्क करते हैं । कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि बिना वैध गेट पास के किसी को भी सीप्ज़ परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा । ये गेट पास ऑनलाइन उपलब्ध हैं । गेट पास सिस्टम (24X7) चौबीसो घंटे खुला रहता है । गेट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात कामगारों/कर्मचारियों/वाहनों के लिए स्थायी गेट पास सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 09.00 बजे से सायं 18.00 बजे के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं ।

कृपया यह ध्यान रहे कि बिना वैध गेट पास के किसी भी व्यक्ति/वाहन को सीप्ज़ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस अनधिकार प्रवेश के लिए न केवल उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी बल्कि लागू कानून के अन्य प्रावधानों के तहत भी वे दंड के भागी होंगे ।

यह संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

हस्ता/-
(महेश जाधव)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़